प्रेस विज्ञप्ति

07/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने 05.11.2024 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **333.82 करोड़ रुपये (लगभग)** मूल्य की अचल और चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के सतारा और अहमदनगर जिलों में स्थित मेसर्स कुटे संस डेयरी लिमिटेड और मेसर्स कुटे संस फ्रेश डेयरी प्राइवेट लिमिटेड की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं।

ईडी ने मई से जुलाई 2024 के महीनों के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा आईपीसी, 1860 और एमपीआईडी अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से सुरेश कुटे और अन्य द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी कुलकर्णी और अन्य द्वारा किया जाता था। इसने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं और 12% से 14% तक ब्याज देने का दावा किया। जांच के दौरान पाया गया कि सुरेश कुटे और अन्य ने 4 लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों को अधिक रिटर्न का वादा करके डीएमसीएसएल में पैसा जमा करने के लिए लुभाया। हालांकि, जमा परिपक्व होने पर निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें धोखा दिया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि डीएमसीएसएल के फंड को सोसायटी के प्रबंधन द्वारा गबन किया गया था, जिसमें सुरेश कुटे और अन्य ने कुटे समूह (सुरेश कुटे और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना कुटे के स्वामित्व वाली कंपनियों का समूह) की विभिन्न कंपनियों को ऋण की आड़ में 2467.89 करोड़ रुपये (अपराध की आय) की राशि को अवैध तरीके और धोखाधड़ी से डायवर्ट करने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। इन धोखाधड़ी वाले ऋण राशियों के वितरण के बाद, उनके द्वारा कुटे समूह की संस्थाओं के कई खातों के माध्यम से या सीधे नकदी के रूप में धन निकाल लिया गया था। सोसायटी से प्राप्त धन का उपयोग अपने निजी लाभों जैसे नए व्यवसायों में निवेश, संपत्ति खरीदने और व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया था।

इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 09.08.2024, 20.09.2024 और 14.10.2024 को तलाशी अभियान चलाया था और 10.99 करोड़ (लगभग) फ्रीज/जब्ती किए गए। ईडी ने 24.09.2024 को 85.88 करोड़ रुपये और 09.10.2024 को 1002.79 करोड़ रुपये की संपत्ति के लिए अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किए। इस मामले में अब तक कुल जब्ती/फ्रीजिंग और कुर्की **1433.48 करोड़ रुपये (लगभग)** है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।